

नई सोच से उभरे समग्र विकास के अभिनव सुझाव

देशीय समाज 27-4-15

नरेंद्र मोदी ने अभिनव सोच सामने रखी। नतीजतन, ऐसे व्यावहारिक सुझाव आए हैं, जिन पर अमल होने से देश की सूरत बदल सकती है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सचिवों को निर्देश दिया था कि वे उन स्थानों का दौरा करें, जहां उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। वहां देखें कि गुजरे वर्षों में वहां क्या बदला है? स्थितियां बेहतर नहीं हुईं, तो क्यों? अब सुधार के लिए क्या किया जा सकता है? 46 सचिव विगत जनवरी में संबंधित स्थानों पर गए और हाल में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट से खासकर पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार, शिक्षा आदि की ठोस सूरत-ए-हाल सामने आई है। पहली पोस्टिंग के बाद केंद्र में सचिव बनने के क्रम में अधिकारी प्रशासन की सीमाओं और संभावनाओं से बेहतर परिचित हो चुके हैं। अतः समस्याओं के जो समाधान उन्होंने बताए, वे यथार्थवादी हैं। मसलन, यह जाना पहचाना तथ्य है कि डॉक्टर गांवों में नहीं जाना चाहते। तो सुझाव दिया गया है कि सेवारत और रिटायर्ड डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय पूल (समुच्चय) बनाया जाए, जिनकी अल्प अवधि के लिए आदिवासी/ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग हो। एक निश्चित समयसीमा के बाद उनके लिए अपनी पुरानी जगह पर लौटने का विकल्प खुला रहे। इसके साथ ही सब-डिवीजन स्तर पर ऐसा सुविधाजनक बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए, जिससे ऐसे पढ़े-लिखे कर्मी वहीं नियुक्ति लेने के लिए प्रेरित हो सकें। इसी तरह यह सुझाव आया है कि सर्वशिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं को चलाने वाले मंत्रालयों को संसाधनों का समन्वित रूप से उपयोग करना चाहिए। उद्देश्य हर गांव में कम-से-कम एक ऐसे सरकारी कर्मचारी की तैनाती हो जो वहां सभी सरकारी विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि के रूप में काम करे। इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा, योजनाओं में तालमेल बनेगा और उत्तरदायित्व तय होगा। इसी तरह मनरेगा में कौशल विकास का काम भी शामिल कर दिया जाए तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण देने के लिए बेहतर जमीन तैयार होगी। स्पष्टतः योजनाओं को धिसे-पिटे अंदाज में चलाने के बजाय उनमें नई सोच जोड़ने और उनसे बेहतर परिणाम प्राप्त करने की दिशा में एक प्रभावी पहल हुई है। लीक से हटकर सोचने का यही लाभ होता है। संतोष की बात है कि भारत ने अब यह रास्ता अपना लिया है।

A Flawless GST for Make in India

The Economic Times - 27-4-15
+ The Congress and other opposition parties should not subvert the roll out of the goods and services tax (GST), meant to create an integrated market for goods and services. On its part, the BJP should remove flaws in the Constitutional Amendment Bill and build a consensus with the states on a flawless GST. The Bill, to give the Centre and states concurrent powers to tax goods and services, is a right step. What is not correct is a 1% extra levy proposed to be charged when goods move from one state to another. If Rajasthan imports goods from Gujarat, it will pay 1% tax to Gujarat, but the levy will not be charged if the goods are imported from outside India. Also, the 1% tax would apply multiple times, every time goods move from one



state to another, and could cumulate to as much as 5% in a typical supply chain. This will add to the cascade of taxes that products bear and raise the cost of raw materials, capital and finished goods.

There will be no set-offs on the extra levy — to be in force for two years or such other period as the GST Council may recommend. However, producing states want the levy on the grounds that they will lose out when the central sales tax is scrapped. There is no logic as the Centre has already guaranteed compensation to states while transiting to GST. The extra levy will scuttle the Make in India plan. It goes against the grain of GST and renders our exports uncompetitive. The extra levy should be scrapped.

Keeping real estate out of GST is a bad idea as credit will not be available for taxes paid on inputs used in construction such as cement and steel. Construction capital expenditure is 40% of total capital investment in a year, and that's not small change. Bringing real estate under GST will raise investment and push growth. States should see reason.

Himalayan Tragedy

Nepal earthquake should jolt India into robust disaster mitigation measures

^{The Times of India, 27-4-15}
The 7.9 magnitude earthquake that hammered Nepal on Saturday, killing at least 2,200 and reducing to rubble hundreds of buildings and human dwellings, is the worst the country has suffered in 81 years. Nepalese Premier Sushil Koirala's impassioned appeal for international humanitarian aid has been heard by Prime Minister Narendra Modi – who acted swiftly to despatch an Indian emergency aid and rescue team – as well as other global leaders. But the scale of the devastation across Nepal will call for much more in succeeding days. As a good neighbour, India must volunteer to head international cooperation in Nepal's hour of crisis.

The tremors, followed by several aftershocks, rattled the entire arc running from north India to the east and northeast, among the most seismically hazardous regions on earth. It also killed over 50 people



across UP, Bihar and West Bengal. The grim situation demands an immediate reappraisal of our own preparedness when nature throws at us killer quakes or other cataclysms. Here's a sobering thought. What if the earthquake had struck 77km northwest not of Nepal's but of India's capital? Damage would have been far more extensive as this is a more densely populated region than Nepal is. Experts opine that about half of Delhi would be flattened.

That 58.6% of the Indian landmass is prone to earthquakes of moderate to very high intensity should jolt the authorities to move towards efficient disaster management. Earthquakes cannot be predicted or prevented, they can only be planned for with adequate mitigation measures beforehand. While such mitigation measures must be built into development work, inadequately designed buildings should be retrofitted with material that will withstand powerful quakes. Municipal regulations, building byelaws and structural safety features need to be revisited and existing ones fully implemented and enforced. Arterial roads in large cities should be made earthquake proof.

While training of engineers and disaster management staff cannot be over-emphasised, constant monitoring of critical infrastructures such as roads, dams, bridges, railway tracks, power stations, nuclear plants, water storage facilities must be a priority. But above all, a compliance regime must be instituted to ensure that disaster mitigation measures are made binding at the central and state levels. Drills and information campaigns have to be periodically undertaken so that everyone is aware of how to save themselves or come to the aid of others in an emergency.

हमारे देश में खेती अभी भी संकट में क्यों है

आर. जगन्नाथन, डेप्युटी एडिटर, 27-4-15

पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी (आप) की रैली में एक राजस्थानी किसान की आत्महत्या सभी दलों के बीच सियासी मुद्दा बन कर रह गई। वे इस घटना के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहराते रहे। हालांकि गजेंद्र सिंह (41) ने आत्महत्या की या दुर्घटना से उसकी मौत हुई अभी स्पष्ट नहीं है। अभी यह साबित नहीं हुआ है कि वह खुदकुशी के इरादे से ही जंतर मंतर पहुंचा था।

हमें गजेंद्र सिंह की मौत को हमारे किसानों के साथ क्या गलत हो रहा है इस रूप से देखना चाहिए, न कि एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में। हमारे देश के किसान और भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक तीन मुख्य वजह से संकट में हैं: 1) पिछले साल मानसून औसत से कम रहना; 2) रबी सीजन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल का बर्बाद होना; और 3) अनाज के खरीद मूल्य में नरमी और ग्रामीण मजदूरी में इजाफा होना। इसमें एनडीए सरकार के भूमि अधिग्रहण विधेयक का कोई लेनादेना नहीं है जो दिल्ली और संसद में कांग्रेस व आप के प्रदर्शन की वजह बना हुआ है। किसान इस विधेयक को पसंद करें या न करें, लेकिन आत्महत्याएं इसकी वजह से नहीं हो रहीं। इसका संबंध तो इस तथ्य से है कि देश के एक बड़े भाग में खेती करना व्यावहारिक और फायदेमंद नहीं रह गया है। एक फसल का विफल होना लाखों किसानों की उम्मीद खत्म कर देता है।

विपक्षी दल हमेशा की तरह पुराने उपाय दोहराने की मांग करेंगे। वे कहेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ना चाहिए, बिजली-डीजल की कीमत कम होनी चाहिए, गरीब किसानों के कर्ज माफ होने चाहिए, उर्वरक-कीटनाशकों की कीमत कम होनी चाहिए आदि-आदि। लेकिन समस्या यह है कि ये उपाय कई बार किए गए, लेकिन इनसे किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रहीं। सब्सिडी देना और अनाज की खरीद के लिए बाजार से अधिक मूल्य पर भुगतान करना इसका समाधान नहीं है। असल में यह समस्या का ही एक हिस्सा है क्योंकि इसमें बड़ी रकम बर्बाद हो रही है।

2008 में यूपीए सरकार ने 72,000 करोड़ रुपए के कृषि कर्ज माफ किए थे, लेकिन सात साल से भी कम समय में कृषि कर्ज एक बार फिर आत्महत्या का कारण बनने लगे। केंद्र के अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी कर्ज माफी की घोषणा की है। लेकिन ऐसे उपाय सिर्फ तात्कालिक राहत दे सकते हैं। स्पष्ट है कि समस्या, जितनी हम समझ रहे हैं उससे कहीं अधिक बड़ी और गहरी है। सबसे बड़ा मसला गलत तरीके से सीधे सब्सिडी देना है। यह सरकार को उन क्षेत्रों में निवेश से रोक रहा है जिनसे कृषि उत्पादकता सुधर सकती है। मसलन अधिक सिंचाई, बेहतर सड़कें, ज्यादा कोल्ड स्टोरेज, उन्नत बीज और यूनिवर्सल क्रॉप इश्योरेंस आदि-आदि।

जरा किसानों की मदद के नाम पर दी जाने वाली सब्सिडी की रकम पर गौर करें। इस साल के बजट में किसानों को एमएसपी और अनाज भंडारण पर फंड सब्सिडी के लिए करीब 1,25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को उर्वरकों पर भी भारी सब्सिडी मिलेगी। इस सब्सिडी की रकम 72,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। यदि इसमें कृषि क्षेत्र को बिजली और डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी, कृषि कर्ज के ब्याज पर दी जाने वाली सब्सिडी को जोड़ लें, तो सालाना रकम 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए से कम नहीं होती है। यह देश की जीडीपी के 1.7-2.1 फीसदी के बराबर है जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है।

कृषि क्षेत्र की मूल समस्या को समझना आसान है। देश की आबादी का 50 फीसदी से ज्यादा हिस्सा खेती में लगा है, जबकि कृषि उत्पादन जीडीपी के 14-15 फीसदी के बराबर है और किसानों को हम सब्सिडी देने पर जीडीपी के 1.7-2.1 फीसदी बराबर रकम खर्च करते हैं। यही नहीं पिछले 40 साल से करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन खेती के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन इस पर निर्भर परिवारों की संख्या दोगुनी होकर 14 करोड़ तक पहुंच गई है। मतलब हर खेत का आकार दो हेक्टेयर से घटकर एक हेक्टेयर रह गया है। छोटे खेत का मतलब है कम आय। इसका एक अर्थ यह भी है कि किसानों के पास इतना पैसा भी नहीं कि उन्नत कृषि उपकरणों व खेती की तकनीक में सुधार पर निवेश कर अपना कृषि उपज बढ़ा पाएं।

जहां तक सरकार की बात है तो वह सब्सिडी पर भारी रकम खर्च कर रही है। यानी उसके पास सिंचाई सुधारने, कृषि रिसर्च, ग्रामीण इलाकों में सड़क, इन्फ्रास्ट्रक्चर और फसल बीमा के लिए पैसा नहीं है। यह रकम ऐसे कामों में निवेश करनी चाहिए जिनके नतीजे बेहतर कृषि के तौर पर सामने आएँ और इससे होने वाली आय सब्सिडी की तौर पर दी जाना चाहिए। देश में खेती के संकट में होने का यही बुनियादी कारण है।

rjagannathan@dbc.org.in

- लेखक आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार, 'फोर्ब्स इंडिया' के एडिटर-इन-चीफ हैं।